महत्वपूर्ण

संख्या–773 /60–1–2021

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 **लखनऊः: दिनांक 02 जून, 2021**

विषयः– 'उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' के सुगम संचालन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश।

महोदय,

अवगत कराना है कि महिला एवं बाल विकास विभाग निराश्रित महिलाओं एवं बच्चों के पुनर्वास एवं संरक्षण हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। विगत एक वर्ष से देश–प्रदेश में कोविड–19 महामारी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। उक्त में जोखिम में आने वाले ऐसे सभी बच्चों, जिनके माता/पिता अथवा दोनों की कोविड–19 महामारी के संक्रमण/प्रभाव से मृत्यु हो गई है तथा इन बच्चों के कोई करीबी अभिभावक न हो अथवा होने के बाद भी वह उन्हें अपनाना न चाहें या अपनाने में सक्षम न हो, के भरण–पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना 'उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के सुगम संचालन हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैं :–

1– **योजना से लाभान्वित किये जाने वाले बच्चों की श्रेणियाँ :–**

(i) 0 से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी बच्चे जिनके माता तथा पिता दोनों की मृत्यु कोविड–19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गई हो या जिनके माता या पिता में से एक की मृत्यु 01 मार्च 2020 से पूर्व हो गयी थी तथा दूसरे की मृत्यु कोविड–19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गई हो या जिनके माता व पिता दोनों की मृत्यु 01 मार्च 2020 से पूर्व हो गयी थी तथा उनके वैध संरक्षक (Legal Guardian) की मृत्यु कोविड–19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गई हो।

(ii) 0 से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी बच्चों को भी शामिल किया जायेगा जिन्होंने कोविड–19 के कारण अपने माता–पिता में से आय अर्जित करने वाले अभिभावक को खो दिया हो तथा वर्तमान में जीवित माता या पिता सहित परिवार की आय 2 लाख रूपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो।

(iii) कोविड–19 से मृत्यु के साक्ष्य के लिए Antigen या RT-PCR के +ve test report, Blood report या C.T. scan में covid-19 का infection होना माना जा सकता है। कोविड–19 का patient कतिपय परिस्थितियों में test में negative आने के बाद भी post-covid complication से उसकी मृत्यु हो सकती है। यह मृत्यु भी covid-19 की वजह से ही मानी जाती है।

2– **योजना की पात्रता हेतु अन्य शर्तें :–**

(i) लाभार्थी अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।

(ii) एक परिवार के सभी (जैविक तथा कानूनी रूप से गोद लिये गये) बच्चों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

(iii) 01 मार्च 2020 को या इसके बाद उपरोक्त 02 श्रेणियों में आने वाले बच्चों को ही योजना का लाभ दिया जा सकेगा।

3– **योजना के अन्तर्गत देय लाभ की श्रेणियॉ :–**

(i) उपरोक्त श्रेणियों के 0 से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के वैध संरक्षक के बैंक खाते में रू0 4000/– (रू0 चार हजार) प्रतिमाह की धनराशि देय होगी बशर्ते औपचारिक शिक्षा हेतु उनका पंजीयन किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कराया गया हो। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चे जो पूर्णतया अनाथ हो गये हों एवं बाल कल्याण समिति के आदेश से विभाग के अन्तर्गत संचालित बाल्य देखभाल संस्थाओं में आवासित कराये गये हों, उनको कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेशित कराया जायेगा।

(ii) 11 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की कक्षा–12 तक की निःशुल्क शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराया जायेगा तथा विद्यालयों की 03 महीने की अवकाश अवधि हेतु बच्चे की देखभाल हेतु प्रतिमाह रू0 4000/– की दर से कुल रू0 12000/– की धनराशि प्रतिवर्ष वैध संरक्षक जिसकी अभिरक्षा में बच्चा हो, के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी तथा उक्त धनराशि कक्षा–12 तक या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो ही देय होगी।

अथवा

यदि बच्चों के संरक्षक उपरोक्त आवासीय विद्यालयों में किसी कारण से प्रवेश नहीं दिलाना चाहते हों, तो बच्चों की देखरेख व शिक्षा हेतु

.........3

उनको 18 वर्ष की आयु होने अथवा कक्षा 12 तक की शिक्षा पूरी होने तक रू0 4000/– की धनराशि दी जायेगी बशर्ते बच्चे को औपचारिक शिक्षा हेतु अनिवार्य रूप से किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया हो।

(iii) प्रदेश सरकार ऐसी सभी बालिकाओं की शादी हेतु रू0 1,01,000/– (एक लाख एक हजार) की राशि उपलब्ध करायेगी।

(iv) उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले कक्षा–9 या इससे ऊपर की कक्षा में अथवा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को Tablet/Laptop की सुविधा एक बार अनुमन्य/उपलब्ध करायेगी।

(v) उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे बच्चे जिनके माता तथा पिता दोनों की मृत्यु हो गयी हो उनके बालिग होने तक उनकी चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु जिला मजिस्ट्रेट संरक्षक होंगे तथा सम्पत्ति से सम्बंधित कानूनी विवादों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सहायता उपलब्ध करायेंगे।

(vi) वैध संरक्षक का चिन्हांकन जनपद स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा किया जायेगा तथा जनपद स्तरीय टास्क फोर्स ऐसे प्रकरणों का सतत् अनुश्रवण भी करेगी।

(vii) जिला बाल संरक्षण इकाई व बाल कल्याण समिति द्वारा उपरोक्त बच्चों के शिक्षा, पोषण, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आदि के सम्बंध में निरन्तर फॉलोअप किया जायेगा तथा अपनी रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रत्येक तिमाही पर जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(viii) जिला प्रोबेशन अधिकारी को जनपद की मांग के अनुसार बजट आबंटन किया जायेगा।

4– योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा जॉच :–

(i) उपरोक्त श्रेणियों के ऐसे समस्त चिन्हित बच्चों या उनके अभिभावकों से जिला बाल संरक्षण इकाई तथा बाल कल्याण समिति सीधे सम्पर्क कर उनके आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को 15 दिन के अन्दर पूर्ण करायेंगे। जनपद स्तरीय टास्क फोर्स इस हेतु बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई का सतत पर्यवेक्षण करेगी तथा यह सुनिश्चित करायेगी कि ऐसे समस्त बच्चों के आवेदन पत्र ससमय प्राप्त कर लिये गये हैं।

(ii) ऐसे समस्त बच्चे (10 वर्ष से अधिक आयु के) स्वयं/उनके माता या पिता/संरक्षक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑफलाइन आवेदन

.........4

कर सकेंगे। आवेदन—पत्र के साथ आवश्यक अभिलेखों की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(iii) आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में अपने ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी के पास या विकास खण्ड या सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में तथा शहरी क्षेत्रों में अपने क्षेत्र के लेखपाल के पास या तहसील या सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जा सकता है।

(iv) निर्धारित प्रारूप पर भरे, स्वयं—सत्यापित व सभी संलग्नकों के साथ प्राप्त आवेदन ही मान्य होंगे।

(v) माता—पिता/माता या पिता की मृत्यु से 2 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा किसी भी बच्चे को अनुमोदन की तिथि से लाभ अनुमन्य होगा।

(vi) उपरोक्त आवेदन पत्रों का सत्यापन ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं अपनी संस्तुति के साथ आवेदन पत्रों को जिला प्रोबेशन कार्यालय में यथाशीघ्र प्रेषित किया जायेगा।

(vii) जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा उपरोक्त समस्त सत्यापित आवेदन पत्रों को शासनादेश संख्या—720/60—1—2021 दिनांक 12 मई 2021 द्वारा गठित जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्तुत करते हुये बच्चे की श्रेणी के अनुसार निर्धारित लाभ दिये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करायी जायेगी।

(viii) जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की गतिविधियों, योजना से सम्बंधित समस्याओं, शिकायतों आदि के निराकरण के सम्बंध में रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष योजनान्तर्गत गठित राज्य अनुश्रवण समिति द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा।

5— योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का सत्यापन :—

योजना का लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों का प्रति वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में विकास खण्ड तथा शहरी क्षेत्रों में तहसील के माध्यम से सत्यापन कराया जायेगा तथा अपात्र (अपात्र होने के कारण सहित) या मृतक पाये गये लाभार्थियों की सत्यापित सूची जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

6– योजना के अन्तर्गत लाभार्थी के अपात्र होने के कारण :–

(i) लाभार्थी की मृत्यु हो गयी हो।

(ii) लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गयी हो।

(iii) परिवार की आय 2 लाख रूपये वार्षिक से अधिक हो गयी हो (मात्र द्वितीय श्रेणी के लाभार्थियों के मामलों में)।

(iv) लाभार्थी बच्चे को दत्तक ग्रहण में सौंप दिया गया हो।

(v) लाभार्थी बच्चे को किसी किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त किसी बालगृह में आवासित कराया गया हो अथवा किसी अपराध में संप्रेक्षण गृह में निरुद्व कराया गया हो।

(vi) विवाह की कानूनी उम्र के उपरान्त विवाह होने पर ।

7– योजना के अन्तर्गत आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख :–

(i) पूर्ण आवेदन पत्र बच्चे व वर्तमान अभिभावक की नवीनतम फोटो सहित।

(ii) माता/पिता/दोनों जैसी भी स्थिति हो का मृत्यु प्रमाणपत्र।

(iii) बच्चे का आयु प्रमाणपत्र। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 में उल्लिखित प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त परिवार रजिस्टर की नकल अथवा किसी सरकारी दस्तावेज की प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो।

(iv) सम्बंधित श्रेणी के शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र।

(v) उ0प्र0 के निवासी होने का घोषणा–पत्र।

(vi) आय प्रमाण पत्र (माता व पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में आवश्यक नहीं)।

8– योजना के संचालन हेतु राजस्व पक्ष में प्रावधानित कुल बजट का 3 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के लिये आरक्षित किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत अवस्थापना, पी0ओ0एल0, स्टेशनरी, कार्यालय–व्यय, प्रचार–प्रसार, प्रशिक्षण, अनुश्रवण आदि पर निहित व्यय सम्मिलित होंगे।

9– लाभार्थियों के खातों में उपरोक्त धनराशि प्रति वर्ष 02 छमाही किश्तों में प्रेषित की जायेगी।

10– कोविड–19 के कारण उक्त श्रेणी के बच्चों का चिन्हांकन कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या–21 भा0स0/60–1–2021, दिनांक 05 मई 2021 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस योजना से सम्बंधित सभी हित ग्राहियों की बैठक करते हुये योजनाबद्ध तरीके से समस्त पात्र लाभार्थियों के आवेदन पत्र संबंधित अधिकारियों की जांच/संस्तुति सहित जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में 15 दिन के अन्दर प्राप्त करते हुये टास्क फोर्स के अनुमोदनोपरान्त उनके खाते में RTGS के माध्यम से धनराशि प्रेषित करना सुनिश्चित की जायेगी।

.........6

11— जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की प्रत्येक पन्द्रह दिन में कम से कम एक बैठक आहूत की जायेगी, जिसमें योजना का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण/संस्तुति की जायेगी तथा संस्तुति प्राप्त होने के अगले माह की एक तारीख से अनुदान/सहायता की धनराशि देय होगी।

12— उक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले कक्षा—9 या इससे ऊपर की कक्षा में अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को Tablet/Laptop का क्रय जनपद स्तर पर जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। इस संबंध में Tablet/Laptop का स्पेशीफिकेशन किसी तकनीकी संस्थान से प्राप्त करते हुये निदेशक, महिला कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

13— उक्त श्रेणी की बालिकाओं की शादी हेतु रू0 1,01,000/— (एक लाख एक हजार) की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र का प्रारूप व दिशा—निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

2— उक्त क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार प्रश्नगत योजना क्रियान्वित किये जाने हेतु यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस योजना हेतु निर्धारित आवेदन—पत्र तथा शपथ—पत्र का प्रारूप संलग्न है।

संलग्नक— यथोक्त।

भवदीया,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
प्रमुख सचिव

संख्या— /60—1—2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त बाल कल्याण समिति, उ0प्र0, द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव

महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश

'उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना'

बच्चे के साथ संरक्षक का नवीनतम पासपोर्ट साइज संयुक्त फोटो चस्पा करें

आवेदन–पत्र

(सभी संलग्नकों के साथ, स्वयं–सत्यापित व पूर्ण रूप से भरे गये फार्म ही स्वीकार किये जायेंगे।)

1. आवेदक का नाम..

2. आवेदक का बच्चे के साथ क्या संबंध हैं ? चुनेः
   - माता ( )
   - पिता ( )
   - संरक्षक ( )
   - स्वयं ( )

3. बच्चे का नाम (हिन्दी में)...

4. बच्चे का नाम (अंग्रेजी में).. (नाम आधार कार्ड/फोटो युक्त पहचान पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/विद्यालय सर्टीफिकेट के अनुरूप लिखें।)

5. जन्म तिथि..जन्म स्थान (जिला)...................................

6. बच्चे की माता का नाम...

7. बच्चे की माता की स्थिति (जीवित या मृतक).........................

8. मृत्यु की तिथि व कारण (मृतक होने की स्थिति में)............................

9. बच्चे के पिता का नाम...

10. बच्चे के पिता की स्थिति (जीवित या मृतक).........................

11. मृत्यु की तिथि व कारण (मृतक होने की स्थिति में)............................

12. संरक्षक का नाम एवं पूर्ण पता (जिसके संरक्षण में बच्चा वर्तमान में है)... ....

13. संरक्षक का बच्चे से संबंध...

14. क्या लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी है ? हॉ ( ) नहीं ( )

15. स्थायी पता ....पिन कोड.......................(निवास प्रमाण पत्र हेतु राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई0डी0, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीवन बीमा पॉलिसी, गैस कनेक्शन बुक, विद्युत बिल, जलकर रसीद, गृहकर रसीद, टेलीफोन बिल या बैंक पासबुक में से किसी एक की प्रति संलग्न करें)

16. वर्तमान पता – म0स0........................ नगर/ग्राम ....
ग्राम. पंचायत/मोहल्ला/वार्ड......................विकास खण्ड/तहसील, जनपद–.........
पिन कोड......................

17. क्या संरक्षक के परिवार की वार्षिक आय रू0–2.00 लाख से कम है ? (माता– पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में लागू नहीं) हाँ ( ) नहीं ( ) लागू नहीं ( )

18. परिवार के सदस्यों का विवरण (आयु सहित) :–
1.........................
2.........................
3........................

19. आवेदक का मोबाइल नं0 (यदि उपलब्ध हो)...

20. आवेदक की आधार कार्ड संख्या ....
(यदि उपलब्ध हो तो आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)

21. आवेदक के बैंक खाते का विवरणः
खाताधारक का नामः..खाताधारक का बच्चे से संबंध.....................
खाता संख्या..बैंक का नाम...
बैंक की शाखा व पता..आई0एफ0एस0सी0 कोड..................................

<u>जिन श्रेणियों के लाभ हेतु आवेदन किया जा रहा है उन पर टिक (✔)करें तथा शेष में क्रास (X) कर दें:–</u>

1– 0 से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के वैध संरक्षक के बैंक खाते में रू0 4000/–(रू0 चार हजार) प्रतिमाह की धनराशि देय होगी बशर्ते औपचारिक शिक्षा हेतु उनका पंजीयन किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कराया गया हो। ( )

2– ऐसे बच्चे जो पूर्णतया अनाथ हो गये हों एवं बाल कल्याण समिति के आदेश से विभाग के अन्तर्गत संचालित बाल्य देखभाल संस्थाओं में आवासित कराये गये हों , उनको कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेशित कराने हेतु। ( )

3– 11 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की कक्षा–12 तक की निःशुल्क शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराया जायेगा तथा विद्यालयों की 03 महीने की अवकाश अवधि हेतु बच्चे की देखभाल हेतु प्रतिमाह रू0 4000 की दर से कुल रू0 12000 की धनराशि प्रतिवर्ष वैध संरक्षक जिसकी अभिरक्षा में बच्चा हो ,के बैंक खाते में धनराशि हस्तांरित की जायेगी तथा उक्त धनराशि कक्षा–12 तक या 18 वर्ष तक की आयु जो भी पहले पूर्ण होने तक ही देय होगी। ( )

4– यदि बच्चों के संरक्षक उपरोक्त आवासीय विद्यालयों में किसी कारण से प्रवेश नहीं दिलाना चाहते हों, तो बच्चों की देखरेख व शिक्षा हेतु उनको 18 वर्ष की आयु होने अथवा कक्षा 12 तक की शिक्षा पूरी होने में जो भी पहले हो, तक प्रतिमाह रू0 4000 की धनराशि दी जायेगी बशर्ते बच्चे को औपचारिक शिक्षा हेतु अनिवार्य रूप से किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया हो। ( )

5– उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले कक्षा–9 या इससे ऊपर की कक्षा में अथवा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को Tablet/Laptop की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु। ( )

निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न करें:–

- बैंक पासबुक की छायाप्रति।
- **फोटो पहचान पत्रः** पैन कार्ड, पेंशनर फोटो आई0डी0 कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई0डी0, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैक पासबुक या सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो विभागीय पहचान पत्र में से कोई एक।
- विधिक रूप से गोद लेने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- माता/पिता या माता–पिता दोनों (जैसी भी स्थिति हो), का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- एकल माता या पिता के जीवित रहने की स्थिति में आय प्रमाण पत्र (माता व पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में आवश्यक नहीं)।
- बच्चे का आयु प्रमाण पत्र। (किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 में उल्लिखित प्रमाण–पत्र अथवा परिवार रजिस्टर की नकल अथवा किसी सरकारी दस्तावेज की प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो।)
- संबंधित श्रेणी के शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र (6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे हेतु)
- उ0प्र0 के निवासी होने का घोषणा–पत्र।
- निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र।
- कोविड–19 से मृत्यु का साक्ष्य (साक्ष्य के लिए Antigen या RT-PCR के +ve test report, Blood report या C.T. scan में covid-19 का infection होना माना जा सकता है। कोविड–19 का patient कतिपय परिस्थितियों में test में negative आने के बाद भी post-covid complication से उसकी मृत्यु हो सकती है। यह मृत्यु भी covid-19 की वजह से ही मानी जायेगी।)

( )

आवेदक का हस्ताक्षर या बायें हाथ के अंगूठे के निशान

पूरा नाम ....

पता.........

घोषणा–पत्र

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री..
(मृतक/जीवित)..................................मूल रूप से उ0प्र0 का निवासी हूँ मेरा स्थायी पता..................
....है व वर्तमान पता ....
..........है मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ किः

1. बालक/बालिका का नाम ....मेरा/मैं...
(संबंध) है/हूँ, मेरी उम्र (जन्म तिथि) ...., जन्म स्थान...................... है।

2. आवेदन पत्र व इस घोषणा– पत्र में मेरे द्वारा दिया गया समस्त विवरण मेरी जानकारी व विश्वास में पूर्णतया सही है। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दिया गया विवरण गलत है तो मेरे द्वारा प्राप्त की गयी सम्पूर्ण अनुदान की राशि राजस्व देय की तरह वसूल कर ली जाय।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर अथवा बायें हाथ के अंगूठे के निशान)

नाम व पता

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर
नाम–
पदनाम –

उप जिलाधिकारी (शहरी क्षेत्र हेतु)/खण्ड विकास अधिकारी(ग्रामीण क्षेत्र हेतु) की संस्तुति

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक लाभ की श्रेणी/श्रेणियों (संख्या...............) हेतु पात्र है तथा योजना संम्बंधी समस्त शर्तों को पूर्ण करता है/करती है, अतः योजना का लाभ दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

उप जिलाधिकारी/
खण्ड विकास अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर